

27.12.19 [वकील वादी अनुपस्थित]

जज साहब को अपील तक
पूरा 2 सप्ताह में आवेदन दिलावा
गई। लेकिन वकील व वादीनी
ने से कोई साक्ष्य नहीं दिया है।
अतः वादीनी का यह अंश
पूरी व अंश साक्ष्य से खारिज
किया जाता है।

पत्रावली के साथ सुनार के
साक्ष्य दलाल है।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिणधरी

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिणधरी